प्रेषक ,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,
उ0प्र0ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
तृतीय एवं चतुर्थ तल , गन्ना किसान संस्थान भवन,
न्यु बेरी रोड डालीबाग लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधिशाषी अभियनन्ता
पीआईयू (पीएमजीएसवाई)
लो0नि0वि0/ग्रा0अ0से0
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1909 एफ– 6/यूपीआरआरडीए/10 दिनांक 6/8/10

विषय– प्रशासनिक मद में साख सीमा की मांग के सबंध में।

महोदय,

प्रशासनिक मद के खाते में बैंक विवरण के अनुसार अधिक मात्रा में धनराशि परिलक्षित होने के कारण प्रशासनिक मद में प्रदेश हेतु अपेक्षित धनराशि की अवमुक्ति भारत सरकार से सम्भव नहीं हो पा रही है।

उक्त से यह प्रतीत होता है कि कतिपय पीआईयूज के पास साख सीमा अवशेष है। अतः प्रशासनिक मद में अवशेष धनराशि का उपभोग हो सके इसलिये प्रशासनिक मद के अन्तर्गत साख सीमा का निर्गमन प्रोग्राम फण्ड की भांति बिल के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः जितना भुगतान बिल के आधार पर तत्काल पीआईयू द्वारा किया जाना है का विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराएं ताकि पीआईयूज को प्रशासनिक मद में भी . प्रोग्राम फण्ड की भांति बिल के आधार पर साख सीमा निर्गत किए जाने हेतु समस्त पीआईयूज की देयता का आंकलन कर साख सीमा निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। **बिल की प्रति /पे आर्डर मांग के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।**

धनराशि लाख रू0 में दशमलव के पांच अंको तक

क्रम सं	पीआईयू का नाम	पीआईयू को पूर्व में अब तक अवमुक्त की गई साख सीमा का विवरण (दिनांक 31.07.2008 को पीआईयू के पास उपलब्ध अवशेष साख सीमा + दिनांक 01.08. 2008 से अब तक अभिकरण से प्राप्त साख सीमा)	कालम सं0 3 के सापेक्ष पीआईयू द्वारा किए गये अद्यतन व्यय का विवरण	पीआईयू के पास अवशेष धनराशि	पीआईयू द्वारा बिल के आधार पर की जाने वाली साख सीमा की मांग का विवरण पूर्णांको में (मांग अवशेष साख सीमा को घटाकर करें) बिल की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
1	2	3	4	5	6

भवदीय,

(संजीव कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीआरआरडीए लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अ0से0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(संजीव कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीआरआरडीए लखनऊ